(37)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 2867–पीबीआर/15 विरूद्ध आदेश दिनांक 22–6–2015 पारित द्वारा तहसीलदार, तहसील हुजूर भोपाल प्रकरण कमांक 48/अ–6–अ/14–15.

मे. ग्लोबल मेगा बेंचर्स
द्वारा डायरेक्टर जयदीप सिंह
आत्मज स्व. सरदार अवतार सिंह
मालवीय नगर, भोपाल .....आवेदक

विरूद्ध

मे. असनानी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लि.
द्वारा डायरेक्टर विशन असनानी
मनसरोवर काम्पलैक्स
होशंगाबाद रोड भोपाल .....अनावेदक

श्री आशीष तिवारी, अभिभाषक, आवेदक
श्री योगेन्द्र गुप्ता, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 11/5/17 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार, तहसील हुजूर भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 22–6–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि तहसीलदार के प्रकरण कमांक 48/अ–6–अ/2007–08 प्रचलित रहने के दौरान दिनांक 26–11–2009 की पेशी पर अनावेदक की अनुपस्थिति में प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया गया । तत्पश्चात अनावेदक द्वारा दिनांक 12–10–2011 को लगभग डेड़ वर्ष से भी अधिक विलम्ब से प्रकरण पुर्नस्थापन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार द्वारा दिनांक 22–6–2015 को आदेश पारित कर अनावेदक द्वारा प्रस्तुत संहिता की धारा 35 (3) का आवेदन पत्र स्वीकार किया गया । तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) अनावेदक द्वारा दो वर्ष के अत्यधिक विलम्ब से पुर्नस्थापन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिसे स्वीकार करने में तहसीलदार द्वारा अवैधानिक कार्यवाही की गई है ।

(2) अनावेदक का यह दायित्व था कि वे तहसीलदार के समक्ष प्रचलित कार्यवाही के प्रति सजग रहता । विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि सोया हुआ व्यक्ति न्याय पाने की आशा नहीं कर सकता है ।

(3) अनावेदक दिनांक 24–9–2009 को तहसील न्यायालय में उपस्थित हुआ है, अतः उसका यह कथन असत्य है कि दिनांक 10–2–2009 के पश्चात उसे कोई जानकारी नहीं थी ।

(4) अवधि विधान के प्रावधान आज्ञापक हैं, जिसमें किसी वास्तविक व युक्तियुक्त कारण से विलम्ब क्षमा हेतु व्यवस्था दी गई है, परन्तु अनावेदक द्वारा इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की गई है ।

(5) अनावेदक द्वारा किया गया यह कथन असत्य है कि दिनांक 10–2–2009 के पश्चात वह इस गफलत में रहा है कि प्रकरण कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत होना है, क्योंकि यदि उसे अशंका थी तब उसके द्वारा कलेक्टर के समक्ष कार्यवाही की जानी थी, परन्तु कलेक्टर के समक्ष भी उसके द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई है ।

(6) राजस्व अभिलेखों के अनुसार आवेदक द्वारा प्रश्नाधीन भूमि पर भवन का निर्माण कर लिया गया है, जिसमें वह निवासरत है ।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) संहिता की धारा 107 के अंतर्गत नक्शे में त्रुटि सुधार का अधिकार कलेक्टर को प्राप्त है । वर्तमान में तहसीलदार अथवा अनुविभागीय अधिकारी को त्रुटि सुधार के संबंध में अंतिम आदेश पारित करने की अधिकारिता नहीं, इसलिए वे तो केवल जांच कार्यालय हैं, ऐसी स्थिति में तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 26–11–2009 अधिकार विहीन है, जिसके संबंध में समय–सीमा लागू नहीं होती है । इस तर्क के समर्थन में 2005 आर.एन. 240 का न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किया गया ।

(2) तहसीलदार द्वारा प्रकरण में जांच की जा रही है, अतः जांच के दौरान तहसीलदार को किसी प्रकार का आदेश पारित करने के अधिकार नहीं थे, और जो आदेश अधिकारिता विहीन हो, उसके संबंध में समय–सीमा का बंधन नहीं है ।

(3) तहसीलदार अनावेदक की अनुपस्थिति में उसकी अनुपस्थिति दर्शाकर प्रतिवेदन कलेक्टर को भेजने के लिए बाध्य था, अतः उनके द्वारा प्रकरण अदम पैरवी में खारिज करने में अवैधानिकता की गई थी, इसलिए पुर्नस्थापन का आवेदन पत्र स्वीकार करने में उनके द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है ।

(4) आवेदक की ओर से निगरानी में कोई विधिक आधार नहीं उठाया गया है केवल समय–सीमा का मुद्दा उठाया गया है, जबकि समय–सीमा जैसे तकनीकी आधार पर अभिलेख दुरूस्तीकरण की कार्यवाही को रोकना उचित नहीं है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा लिखित तर्क में उठाये गये आधारों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा उनके समक्ष प्रचलित प्रकरण में दिनांक 26–11–2009 को अनावेदक की अनुपस्थिति के कारण प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया गया है । तत्पश्चात अनावेदक द्वारा पुर्नस्थापन का आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर तहसीलदार द्वारा दिनांक 22–6–2015 को आदेश पारित कर प्रकरण पुर्नस्थापित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है, क्योंकि सामान्यतः प्रकरण का निराकरण तकनीकी आधारों पर नहीं कर गुण–दोष पर किया जाना चाहिए, जिससे पक्षकारों को वास्तविक न्याय प्राप्त हो सके । अतः तहसीलदार द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार, तहसील हुजूर भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 22–6–2015 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर